48

न्यायालय ग्वालियर राजस्व मंडल म०प्र०

निग-1839- I 6

सत्यनारायण उपाध्याय आयु 60 वर्ष वल्द स्व० श्री छोटेलाल उपाध्याय निवासी ग्राम बसिया गंगी तहसील राहतगढ़ जिला सागर म०प्र०

अजयश्रीवास्तव (स्व) 8/6/16

— रिवीजनकर्ता

// विरुद्ध //

1- संजय केशरवानी तनय स्व० कामता प्रसाद केशरवानी

2- विजय केशरवानी तनय स्व० कामता प्रसाद केशरवानी

दोनो निवासी पुरानी गल्ला मंडी के अंदर तिलकगंज वार्ड सागर तहसील व जिला सागर म०प्र०

— प्रति रिवीजनकर्तागण

रिवीजन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता 1959

रिवीजनकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राहतगढ़ जिला सागर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/बी-113 (4) वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 2-6-2016 से दुखित होकर निम्न आधारो पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :-

// रिवीजन के तथ्य //

1- यह कि रिवीजन कर्ता ग्राम बसिया गंगी तह० राहतगढ जिला सागर का स्थाई निवासी है । ग्राम बसिया गंगी मे श्री देव जानकी रमण मंदिर स्थित है उक्त मंदिर रजिस्टर्ड न्यास है । जिसका पंजीयन वर्ष 1955 में हुआ था जिसका पंजीयन क्रमांक -201 है । उक्त मंदिर मे ग्राम के लोगो

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1839-एक/2016 जिला सागर सत्यनारायण विरूद्ध संजय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 5/बी-113(4) वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-06-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

4.1.19

	लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य	